4/1 स्टरकाट

विशेष विवरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 11/2017

उनवान

1. हनुमान सहाय दत्तक पुत्र बालू जाति खटीक निवासी कस्बा चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमू, जिला जयपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक 08.04.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कस्बा चौमू पटवार हल्का चौमू बी तहसील चौमू जिला जयपुर में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 3512 रकबा 0.07है0, खसरा नम्बर 3513 रकबा 0.02है0, खसरा नम्बर 3514 रकबा 0.14है0, कुल किता–3 कुल रकबा 0.23है0 खातेदारी भूमि स्थित है, जिसके गत सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 1831 रकबा 18 बिस्वा है, उक्त भूमि ठिकाना के समय व सेटलमेन्ट के प्रभाव में आनें सें पूर्व गंगा बैवा बालू कौम खटीक के नाम दर्ज रही है, तथा इसी नाम सें पासबुक जारी की गयी तथा गंगा के स्वर्गवास के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण संख्या 605 दिनांक 25.04.1973 को प्रार्थी के नाम हनुमान सहाय दत्तक पुत्र बालू खोला गया जो बदस्तुर चालु रहा है। गत सेटलमेन्ट के समय राजस्व कर्मचारियों की गलती सें राजस्व रिकार्ड में हनुमान सहाय दत्तक पुत्र बालू के स्थान हनुमान सहाय दत्तक पुत्र कालू जाति खटीक दर्ज हो गया जो कि राजस्व कर्मचारियों की गलती सें हुआ है, जिसको दुरूस्त किया जाना कानूनी रूप सें आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम कालू के स्थान पर बालू अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करे तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हनुमान सहाय दत्तक पुत्र बालू अंकित किया जावे।

उक्त आशय का प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार चौमूं को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। तहसीलदार चौमूं द्वारा उक्त प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के प्रकरण में ग्राम कस्बा चौमू बी की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के अनुसार 3512, 3513, 3514, किता –3 का कुल रकबा 0.23है0 थी। खातेदारी हनुमान सहाय पि.मु.कालू जाति खटीक के नाम सें दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरान के गत खसरा नम्बर 1831 रकबा 18 बिस्वा भू–प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 सें 2023 में गंगा बेवा बालू कौम खटीक के नाम सें दर्ज था।

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner

खातेदारी गंगा बेवा बालू की फौती पर नामान्तरकरण संख्या 605 फैसल दिनांक 26.08.1973 द्वारा विरासत दर्ज की गई जो हनुमान सहाय पि. मु. बालू के नाम दर्ज हुई थी । इसके पश्चात नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान प्रार्थी हनुमान सहाय के पिता का नाम बालू के बजाय कालू दर्ज कर दिया गया । एवं पर्चा भी इसी नाम सें जारी किया गया। जो आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में हनुमान सहाय पि.मु. कालू दर्ज चला आ रहा है।

अतः संलग्न मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2010 सें 2023 की प्रति एवं नामान्तरकरण संख्या 605 भू–प्रबन्ध के अनुसार वर्तमान रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम कालू के बजाय बालू दर्ज किया जाना उचित बताया गया है।

बहस प्रार्थी के अधिवक्ता की सुनी गई। प्रा0 पत्र, दस्तावेज रिपोर्ट तहसीलदार चौमू व बहस का बगोर अवलोकन किया गया। ग्राम करबा चौमू बी की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के अनुसार 3512, 3513, 3514, किता –3 का कुल रकबा 0.23है0 थी। खातेदारी हनुमान सहाय पि.मु.कालू जाति खटीक के नाम सें दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरान के गत खसरा नम्बर 1831 रकबा 18 बिस्वा भू–प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त सम्वत 2010 सें 2023 में गंगा बेवा बालू कौम खटीक के नाम सें दर्ज था। खातेदारी गंगा बेवा बालू की फौती पर नामान्तरकरण संख्या 605 फैसल दिनांक 26.08.1973 द्वारा विरासत दर्ज की गई जो हनुमान सहाय पि. मु. बालू के नाम दर्ज हुई थी। इसके पश्चात नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान प्रार्थी हनुमान सहाय के पिता का नाम बालू के बजाय कालू दर्ज कर दिया गया। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2010 सें 2023 की प्रति एवं नामान्तरकरण संख्या 605 भू–प्रबन्ध के अनुसार वर्तमान रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम कालू के बजाय बालू शुद्व किया जाना तहसीलदार चौमू द्वारा उचित बताया गया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं तथा वाके ग्राम करबा चौमू बी की जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के अनुसार आराजी ख.नं. 3512, 3513, 3514, किता –3 का कुल रकबा 0.23है0 तहसील चौमूं की खातेदारी में दर्ज नाम हनुमान सहाय पि.मु.कालू के स्थान पर हनुमान सहाय पि.मु.बालू शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला-जयपुर
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Scanned by CamScanner